भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-123

उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

छात्रों के बीच आत्महत्या दर में वृद्धि

†123. **सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार छात्रों के बीच आत्महत्या की दर में काफी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) शैक्षिक सुधारों और मानसिक स्वास्थ्य उपायों के बावजूद, छात्रों के बीच आत्महत्याओं की घटनाओं में वृद्धि को रोकने में सरकार किन-किन कारणों से विफल रही है;
(ग) सरकार द्वारा स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य संकट को दूर करने, विशेष रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, जहाँ छात्रों द्वारा आत्महत्याओं का एक-तिहाई हिस्सा इन्हीं राज्यों का होता है, के लिए उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) कोटा जैसे क्षेत्रों में कोचिंग संस्थानों को विनियमित नहीं करने के क्या कारण हैं, जहाँ अत्यधिक शैक्षणिक दबाव छात्रों को आत्महत्या के लिए उकसा रहा है; और
(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) पुलिस द्वारा दर्ज आत्महत्या के मामलों से आत्महत्याओं संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। देश में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या से संबंधित आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वार्षिक रूप से भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। छात्र आत्महत्याओं का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण एडीएसआई रिपोर्ट में उपलब्ध है, जो https://ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-year-wise.html पर देखा जा सकता है। एडीएसआई के अनुसार वर्ष 2022 में छात्र आत्महत्या कुल आत्महत्या मामलों का 7.6%

थी, जबकि वर्ष 2021 में यह 8.0% व वर्ष 2020 में 8.2% थी। इन रिपोर्टों के अनुसार, आत्महत्या के विभिन्न कारण जैसे पेशेवर/कैरियर संबंधी समस्याएं, अकेलेपन की भावना, दुर्व्यवहार, हिंसा, पारिवारिक समस्याएं, मानसिक विकार, शराब की लत, वित्तीय नुकसान, पुराना दर्द आदि हैं।

आत्महत्या के मुद्दे से निपटने के लिए सरकार बहुआयामी उपाय कर रही है और आत्महत्या की घटनाओं से बचने के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक और भावनात्मक कल्याण हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान कर रही है। शिक्षा मंत्रालय की एक पहल, मनोदर्पण, मानसिक और भावनात्मक कल्याण हेतु छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती है जैसे कि राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन जो प्रशिक्षित परामर्शदाता के माध्यम से कॉल करने वालों को मार्गदर्शन प्रदान कर रही है; और लाइव इंटरैक्टिव सत्र 'सहयोग' व वेबिनार 'परिचर्चा' जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों सहित सभी हितधारकों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से आयोजित की जाती है। ये सत्र पीएम ई-विद्या चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं और 'एनसीईआरटी आधिकारिक' यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं।

मानसिक विकारों की समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रहा है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में कार्यान्वयन हेतु संस्वीकृति दी गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। डीएमएचपी के उद्देश्यों में से एक, स्कूलों और कॉलेजों में आत्महत्या रोकथाम सेवाएं, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करना शामिल है।

एनएचएम के अंतर्गत आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम में एक समर्पित मॉड्यूल के रूप में □भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य□ को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य एवं कल्याण राजदूतों (शिक्षकों) को कार्यक्रम के अन्य विषयगत क्षेत्रों के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, ताकि स्कूली बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सहायता प्रदान की जा सके और उन्हें जागरूक किया जा सके।
देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार हेतु वर्ष 2022 में एक □राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम□ शुरू किया गया है। आज तक की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग (मानस) के 53 प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 23.80 लाख से अधिक कॉलों को सुना गया है। सरकार ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस - 10 अक्टूबर, 2024 के अवसर पर टेली मानस मोबाइल एप्लिकेशन का भी शुभारंभ किया है।

यूजीसी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति के संबंध में दिनांक 06.01.2023 को उच्चतर शिक्षा संस्थानों को परामर्शिका जारी की। यूजीसी ने दिनांक 13.04.2023 को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शारीरिक फिटनेस, खेल, छात्र स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मंत्रालय ने दिनांक 10.07.2023 को उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में छात्रों के भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए एक व्यापक रूपरेखा भी प्रसारित की है, जिसमें संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे इसे अपनी कार्यप्रणाली में सक्रिय रूप से शामिल करें और छात्र समुदाय में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करें। तदनुसार, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी रुड़की ने मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन संबंधी कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

उच्चतर शिक्षा विभाग ने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार्यता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत की। इसमें ऑनलाइन और व्यक्तिगत सत्र, नवीन मानसिक स्वास्थ्य प्रथाओं वाली संस्थाओं का दौरा और वार्षिक राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन शामिल हैं। इसका लक्ष्य छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का शीघ्र समाधान करने के लिए संकाय को सशक्त बनाना है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोचिंग सेंटरों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश दिनांक 16.01.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित कानूनी ढांचे के माध्यम से विचार करने के लिए जारी किए गए हैं। इसके बाद दिनांक 16.07.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक और पत्र भेजा गया। इन दिशानिर्देशों में कई प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया है, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर बल देना, कोचिंग केन्द्रों में परामर्शदाताओं और मनोवैज्ञानिकों के सहयोग को प्राथमिकता देने का समर्थन करना, बैचों में अलगाव न करना, अभिलेखों का रखरखाव आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए इस मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र और राज्य समान रूप से उत्तरदायी हैं।

***